निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 129/2019 दिनांक : 21.01.2021

अनवान

1. प्रभुलाल पिता हजारी जाट वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. चम्पालाल पिता भागचन्द जाट वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... वादीगण

।। बनाम ।।

1. कालू पिता नारायण धोबी वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. रूपा पिता नारायण धोबी वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. राधाकिशन पिता जोधा धोबी वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. राज्य सरकार सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री प्रवीण वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम पिपलवास पटवार हल्का पीपलवास के खाता संख्या 172 में दर्ज आराजी नम्बर 983, 989, 990, 1012, 1301, 1302, कुल किता–6 कुल रकबा 6.89 हैक्टैयर स्थित हे जो वादीगण की पैतृक पुश्तैनी होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिकमी [illegible]
2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या [illegible] प्रतिवादीगण को सिजार पर दे रखी थी जिससे राजस्व कर्मचारियों द्वारा [illegible] को सिकमी दर्ज [illegible] हुए राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:24:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम बिना किसी वैधानिक अधिकार के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो रखा है जिसे विलोपित किया जाकर वादीगण को उपरोक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक होने से वाद पत्र खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत है ।

3. यह कि वाद पत्र की कीम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है लेकिन प्रतिवादीगण ने सिजारे पर कार्य किया जिससे राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रृटि से प्रतिवादीगण का नाम सिकमी में दर्ज कर दिया लेकिन वर्तमान में उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं होकर वादीगण ही अपने स्वामितव एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहें है लेकिन राजस्व रेकार्ड में सिकमी के रूप में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है जिससे उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का श्रीमान के समक्ष पेश है ।

4. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर वादीगण शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण को सिकमी दर्ज कर रखा है जिससे प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज लाभ उठा कर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन बह, बक्षीस या अन्य तरीके से मुन्तकील करने की धमकियां दे रहें है तथा हम वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने पर आमादा हो रहें है जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें एव आराजीयात उनके नाम सिकमी दर्ज है जो किसी अन्य को रहन बह, बक्षीस न करें ना किसी अन्य तरीके से करावें । तदर्थ यह वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश है ।

5. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 20.6.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण के उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी करने एवं कब्जा छिनने के लिए मौके पर लडाई झगडा करने पर आमादा होने से एवं राजस्व रेकार्ड में सिकमी दर्ज होने का अनचित लाभ उठा कर आराजीयात को को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

अतःवाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जावे तथा वादीगण को सकल खातेदार घोषित फ़रमाया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:24:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिंदु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबन्दी मौजा पिपलवास खाता संख्या 172 संवत् 2072–2075 प्रदर्श–1
2. बयान शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 हीरालाल पिता डालू जाट निवासी पीपलवास तहसील भदेसर

लायक अधिवक्ता वादी बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ की ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । न्यायालय को यह देखना है कि कराजस्व रेकार्ड में खातेदार शिकमी का वर्णन क्यों किया गया है । राजस्व रेकार्ड में खातेदारान को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :– वह मनुष्य जिसने जमींदार को कुछ वार्षिक लगान देने की प्रतिज्ञा करके उसकी जमीन पर खेती काने का स्वत्व प्राप्त किया हो जिसमें साधारणतः पांच प्रकार के काश्तकारों की संज्ञा दी गई है शरह–मुएअन, दखीलकार, गेर दखीलकार, साकितुल–मालयित और शिकमी । शरह मुएअन वे है जो दवामी बंदोबस्त के समय से बराबर एक ही मुकर्रर लगान देते आये हो । ऐसे काश्तकारों की लगान बढाई नहीं जा सकती है वे बेदखल नहीं किए जा सकते । दखीलकार वे है जिन्हें बारह वर्ष तक लगातार एक ही जमीन जोतने के कारण उन पर दखीलकारी का हक प्राप्त हो गया और बेदखल नहीं किए जा सकते है । गैर दखीलकार वे है जिनकी काश्त की मुद्दत बारह वर्ष से कम हो । साकितुल मालियत वह है जो उसी जमीन पर पहले जमीनदार की हैसियत से सीर करता रहा हो शिकमी खातेदार को इस प्रकार परिभाषित किया है कि ऐसा काश्तकार जिसे जोतने के लिए खेत दूसरे काश्तकार से मिला हो तथा उसने उस पर खेती की हो [illegible] उसका वर्चस्य समाप्त हो गया हो किन्तु राजस्व रेकार्ड में शिकमी के रूप में नाम [illegible] है हस्तगत प्रकरण इसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:24:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वादीगण के खातेदारी में दर्ज आराजीयात को शिकमी काश्तकारान् द्वारा खेती अथवा सिजारे पर ली जाने से कालान्तर में उनका नाम शिकमी के रूप में दर्ज हो गया होगा जो बरकरार चला आ रहा है । हस्तगत प्रकरण में शिकमी खातेदार –प्रतिवादीगण के रूप में मुकदमा पक्षकार सस्थित है और उन्होंनें प्रकरण में किसी प्रकार से भाग नहीं लिया न ही कोई आपत्ति उठाई गई । वादीगण का आलौच्य आराजीयात पर कब्जा है तथा जमाबन्दी में खातेदारान् की प्रविष्ठी का में प्रारम्भिक खातेदारी की हैसियत से वादीगण का नाम अंकन है । अतः खातेदार शिकमी की प्रविष्ठि का विलोपन किया जाना उचित प्रतित होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि मौजा पिपलवास पटवार हल्का पीपलवास के खाता संख्या 172 में दर्ज आराजी नम्बर 983, 989, 990, 1012, 1301, 1302, कुल किता–6 कुल रकबा 6.89 हैक्टैयर में वादीगण प्रभुलाल पिता हजारी जाट, चम्पालाल पिता भागचन्द जाट खातेदार के नाम के साथ खातेदार के रूप में दर्ज खातेदार शिकमी– कालू,रूपा पिता नारायण , राधा किशन पिता जोधा धोबी की प्रविष्ठि को राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाने का आदेश दिया जाता है । प्रतिवादगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त आराजीयात के किसी भी भू भाग को दिगर तरीके से रहन अथवा हस्तान्तरण नहीं करें न अन्य प्रकार से करावें । तदनुसार तहसीलदार भदेसर राजस्व रेकार्ड में शुद्वि से अमलदरामद करावें । इसी आशय का पर्चा डिक्री मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:24:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
वईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,
उनवान

1. प्रभुलाल पिता हजारी जाट वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. चम्पालाल पिता भागचन्द जाट वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... वादीगण

।। बनाम ।।

1. कालू पिता नारायण धोबी वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. रूपा पिता नारायण धोबी वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. राधाकिशन पिता जोधा धोबी वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. राज्य सरकार सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रकरण सं0 129/2019

वादी की और से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादीगण की ओर से –(कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 21.01.2021 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने वाद वादी डिकी किया जाता है कि पिपलवास पटवार हल्का पीपलवास के खाता संख्या 172 में दर्ज आराजी नम्बर 983, 989, 990, 1012, 1301, 1302, कुल किता–6 कुल रकबा 6.89 हैक्टैयर में वादीगण प्रभुलाल पिता हजारी जाट, चम्पालाल पिता भागचन्द जाट खातेदार के नाम के साथ खातेदार के रूप में दर्ज खातेदार शिकमी– कालू,रूपा पिता नारायण , राधा किशन पिता जोधा धोबी की प्रविष्ठि को राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाने का आदेश दिया जाता है । प्रतिवादगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त आराजीयात के किसी भी भू भाग को दिगर तरीके से रहन अथवा हस्तान्तरण नहीं करें न अन्य प्रकार से करावें । तदनुसार तहसीलदार भदेसर राजस्व रेकार्ड में शुद्दि से अमलदरामद करावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:24:09 IST
Reason: SelfAttested

यह आज दिनांक 21.01.2021 को डिग्री ... किया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned with CamScanner